राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक—एफ.6 (निरी)(आई सी)/138/2020—21/ 9907 जयपुर दिनांक 26/07/21

प्राचार्य,

सेठ बुधमल दूगड़,

राजकीय महाविद्यालय, सरदार शहर

चूरू

विषय— आपके कार्यालय के लेखों का आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन संख्या 138/2020-21 जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखा वर्ष 2017-2020 की जाँच कर गठित प्रतिवेदन संख्या 138/2020-21 की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं इसमें दर्शाई गई कमियों एवं त्रुटियों के समाधान करने व उसमें दिये गये सुझावों की क्रियान्विति हेतु एतद द्वारा प्रेषित की जा रही है। आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं से सम्बन्धित अनुच्छेदों का सारांश निम्नवत है—

विवरण	अनु. संख्या	राशि
नगद शेष के सत्यापन में पाई गई अवितरित राशि	1.	21,119.00
अनियमित क्रय संबंधी प्रकरण	6., 8.	4,723,190.00
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	7.	11,960,000.00
अन्य	2., 3., 4., 5., 9.	88,342.00
योग		16,792,651.00

प्रतिवेदन में अंकित वसूली योग्य राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग—। के नियम 174 में प्रदत निर्देशानुसार वसूली पंजिका में अंकित करावें तथा इसकी वसूली सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग—। में प्रदत निर्देशानुसार नियम 172 के अनुसार सम्बन्धित से कराया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि में, अनुपालना आपकी समीक्षा सहित इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में प्रकट हुई वित्तीय कार्यवाही में त्रुटियो एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी रुप से लागु किया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः निरी. प्रति पृ. सं. 1 से 13

परिशिष्ट सं 1 से 6

भवदीय,

20.7.21

(आर.एल.परसोया)

अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक—एफ.6 (निरी)(आई सी)/138/2020—21/ जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

— Sd —

अतिरिक्त निदेशक

चतुर्थ तल,ए—ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योतिनगर, जयपुर फोन/फैक्स—0141—2740324 ईमेल—dir-ind-rj@nic.in

लेखाशाखा
29/9/2022

राजस्थान सरकार
निदेशालय, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ–6 (आई.) निरी. / 55 / 2022–23 / 16560 दिनांक 14.9.22

राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर
प्राप्ति क्र. 847 दि. 31.9.22

प्राचार्य,
सेठ बुधमल दुगड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सरदारशहर (चुरू)।

विषयः— आपके कार्यालय के लेखों का आन्तरिक जॉच प्रतिवेदन संख्या 55 / 2022–23 जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखा वर्ष 2020–2022 की जॉच कर गठित प्रतिवेदन संख्या 55 / 2022–23 की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं इसमें दर्शाई गई कमियों एवं त्रुटियों के समाधान करने व उसमें दिये गये सुझावों की कियान्विति हेतु एतद द्वारा प्रेषित की जा रही है। आन्तरिक जॉच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं से सम्बन्धित अनुच्छेदों का साराशं निम्नवत हैः–

विवरण	अनुच्छेद संख्या	राशि रूपये
रोकड़पाल एवं भण्डारपाल की प्रतिभुति प्राप्त करने का अभाव।	1	–
पी.डी.खाता पासबुक एवं कोष अंक के अंक मिलान की अंतर राशि के निस्तारण करवाने का अभाव।	2	5252 / –
व्यपगत कॉशनमनी राजकोष में जमा करवाने का अभाव राशि।	3	10620 / –
महाविद्यालय विकास समिति कोष से स्नात्कोत्तर स्तर पर संचालित हिन्दी विषय की स्थायी सम्बन्द्वता हेतु जमा करवाई गई राशि का बजट आवंटित करवाकर समायोजन करवाने का अभाव।	4	140000 / –
महाविद्यालय विकास समिति कोष के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखों की सीं. ए. ऑडिट करवाने एवं 80जी में आयकर छूट हेतु समिति के रजिस्ट्रेशन करवाने का अभाव।	5	–
सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत कार्मिकों की सहायक आचार्य (प्रोबेशनर) पद पर नवनियुक्ति के उपरान्त सेवा पुस्तिकाओं के उपार्जित अवकाश खातें में 10 दिवस के उपार्जित अवकाश जमा करने सम्बन्धित अनियमितताएं।	6	–
ग्रीष्मावकास के दौरान महाविद्यालय में राजकार्य के निष्पादन हेतु शैक्षणिक संकाय सदस्यों को रोके जाने के उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92(बी) के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश के लाभ की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बगैर उपार्जित अवकाश जमा करने सम्बन्धित अनियमितताएं।	7	–

प्रतिवेदन में अंकित वसूली योग्य राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–। के नियम 174 में प्रदत निर्देशानुसार वसूली पंजिका में अंकित करावें तथा इसकी वसूली सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–। में प्रदत निर्देशानुसार नियम 172 के अनुसार सम्बन्धित से कराया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि में, अनुपालना आपकी समीक्षा सहित इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में प्रकट हुई वित्तीय कार्यवाही में त्रुटियो एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी रुप से लागू किया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः निरी. प्रति पृ. सं.:–1 से 12
मय परिशिष्ट :– 12 से 126

भवदीय,

(आर.एल. परसोया)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :– एफ–6 (आई.) निरी. / 55 / 2022–23 /
दिनांक

प्रतिलिपिः– आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।